न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 29/2018

1. शान्ति लाल पुत्र श्री भंवर लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

1. श्याम सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. नजरूदीन पुत्र श्री रहीमबक्ष मुसलमान आयु वयस्क निवासी– बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी –अधिवक्ता वादी
2. श्री मांगी लाल सैन––अधिवक्ता प्र.सं.1 व 2
3. पेरोकार सरकार–प्रतिवादी संख्या 3

:: निर्णय ::

दिनांक– 29.09.2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 183 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद ग्राम बरडौद पटवार हल्का बरडौद भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की खतोनी नम्बर 529 मे आराजी नम्बर 922 नौ सौ बाईस रकबा 06 छह बीघा [illegible] किस्म [illegible] भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर खातेदारी हक अ[illegible] दर्ज है । वादी वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी पर काबिज होकर उसका [illegible] उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी ने उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी [illegible] हेतु [illegible] प्रार्थनापत्र न्यायालय श्री[illegible] उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके [illegible] संख्या 45/2017 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 30 तीस जून 2017 दो हजार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:12:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्रह को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 जो कि वादी की आराजी का पडौसी है, को होने पर प्रतिवादी संख्या 01 एक ने करीब 03 बीघा 07 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 02 ने 03 बीघा 07 बिस्वा पर जबरन कब्जा कर उक्त रकबा को अपनी आराजियात मे मिलाकर अपना कब्जा कर लिया जबकि उक्त आराजी संख्या 922 के किसी भी भू भाग से प्रतिवादी संख्या 01 एक का कोई हक अधिकार नही है। उक्त आराजी संख्या 922 नौ सौ बाईस रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा की पत्थरगढ़ी की गई व पटवारी व गिरदावर द्वारा दिनाक 30 तीस मई 2018 दो हजार अठारह को मौका पर्चा बनाया गया, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 एक का वादी की भूमि के दक्षिण दिशा मे करीब 03 बीघा पर व उत्तर दिशा की तरफ करीब 03 बीघा 07 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 02 का अवैध कब्जा पाया गया। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी मे से उनके द्वारा किये कब्जे को छोडने हेतु कहा , तो प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 हर बार जल्दी ही कब्जा छोडने की बात कही, लेकिन न तो आज दिन तक पत्थरगढ़ी करवायी व न ही कब्जा छोडा व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 10 दस जून 2018 दो हजार अठारह को किये गये अवैध कब्जे को छोडकर उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो मना कर दिया। अंत मे प्रार्थना दर्ज करते हुए सरहद बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 922 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा मे से प्रतिवादी संख्या 01 एक का दक्षिण दिशा की तरफ 03 बीघा व प्रतिवादी संख्या 02 का उत्तर दिशा की तरफ 03 बीघा 07 बिस्वा पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाने का निवेदन किया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 की ओर से जवाब पेश कर वादी के विक्रयपत्र मे पडौसो का अंकन अन्य भूमि के होने व वादी द्वारा विक्रयपत्र मे गलत नम्बर से आराजी नम्बर 9222 के आधार पर राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम पर दर्ज करवाने व वादपत्र खारीज करने का निवेदन किया। मामले मे निम्न विवाद्यक कायम किये गये–

1. कि आया वादी वादपत्र के पैरा संख्या 01 मे वर्णित आराजियात का खातेदार है ?

––बजिम्मे वादी

2. आया वादी प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

––बजिम्मे वादी

3. आया प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 दिनांक 15/03/1978 रजि0 विक्रयपत्र से काबिज होकर मालिक है ?

––बजिम्मे प्रतिवादी

4. आया जवाबदावा की कलम संख्या 04 के अनुसार वादी के नाम पर खातेदारी से दर्ज भूमि किव्रयपत्र के आधार पर दर्ज विक्रयपत्र तथाकथित भूमि आराजी नम्बर 922 का नही होकर अन्य भूमि का है, जिससे तथाकथित भूमि गलत दर्ज होने से वादी प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नही है ?

––बजिम्मे प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:12:56 IST
Reason: SelfAttested

5. अनुतोष–

वादी की ओर से अपनी साक्ष्य मे शपथपत्र पी.ड 1 के रूप मे शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल, पर्चा मौका व पत्थरगढ़ी आदेश प्रदर्श पी–1 लगायत पी.–3 को प्रदर्शित करवाया गया व वादी स्वयं के शपथपत्र पेश कर बयान लेखबद्व करवाये गये व प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 की ओर से गवाह डी.ड 1, डी.ड 2, डी.ड 3, डी ड 4 , डी. ड 5 के बयान लेखवद्व कराये गये व दस्तावेज माबंदी प्रदर्श डी–1 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श डी–2 , प्रदर्श डी–3 प्रदर्शित करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

विवाद्यक संख्या 01 जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी के आधार पर वादी के जिम्मे निर्णित किया गया व साथ ही विवाद्यक संख्या 03 एवं 04 जो कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजात से प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 पूर्णतया अपने पक्ष मे साबित नही करा पाये, विवाद्यक संख्या 03 एवं 04 प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 के विरूद्व व वादी के पक्ष मे निर्णित किया गया। विवाद्यक संख्या 01 एवं 03 व 04 जो कि वादी के पक्ष मे तय होने व प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 के विरूद्व तय होने से विवाद्यक संख्या 02 एवं 05 वादी के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

–:: आदेश ::–

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी सख्या 01 एक एवं 02 ने सरहद बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 922 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा मे से प्रतिवादी संख्या 01 एक का दक्षिण दिशा की तरफ 03 बीघा व प्रतिवादी संख्या 02 का उत्तर दिशा की तरफ 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि पर किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, हमीरगढ को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को खुले न्यायालय में दिया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.31 17:12:56 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :–अंशुल आमेरिया(आर0ए0एस)
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 आर.टि.एक्ट
मुकदमा नम्बर 29/2018 राजस्व वाद

1. शान्ति लाल पुत्र श्री भंवर लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

1. श्याम सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. नजरूदीन पुत्र श्री रहीमबक्ष मुसलमान आयु वयस्क निवासी– बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

वादी की ओर से श्री पृथ्वीराज चौधरी , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से मांगी लाल सैन की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 29.09.2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **शून्य** को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 ने सरहद बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 922 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा मे से प्रतिवादी संख्या 01 एक का दक्षिण दिशा की तरफ 03 बीघा व प्रतिवादी संख्या 02 का उत्तर दिशा की तरफ 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि पर किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, हमीरगढ़ को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। इसी अनुसार निर्णय व डिक्री की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे। आज दिनांक 29.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:12:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़
जिला भीलवाड़ा